कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा),
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल)

पत्रांक 1649/जी–6 /63 दिनांक – 17.10.2018

अल्पकालीन कोटेशन सूचना

इस कार्यालय को मासिक किराये के आधार पर डीजल चालित **महेन्द्रा बुलैरो (7 सीटर) की टैक्सी 2016** या उच्चतर मॉडल की वाहन चालक सहित आपूर्ति हेतु इच्छुक वाहन स्वामियों/फर्मो से मुहरबन्द कोटेशन दिनांक **27.10.2018** के अपराहन 3:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। जो उसी दिन अपराहन 3:30 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय में खोली जायेगी। कोटेशन का प्रारुप, नियम एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय/नोटिस बोर्ड से प्राप्त/देखी जा सकती है।

(सी0पी0एस0 रावत)
परियोजना प्रबन्धक

प्रकाशन हेतु नही :–

नियम व शर्तें :–

1. कोटेशन निर्धारित प्रारुप पर भरकर देना होगा, जिसे कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
2. अनुबन्ध गठन के समय रुपये 5000/– की जमानती धनराशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो कि **अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से देय बन्धक** हो, जमा करनी होगी।
3. कोटशन के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न होनी अनिवार्य है।
   (1) प्रपत्र 23 (पंजीकरण प्रमाण पत्र) (2) प्रपत्र 47 (टैक्सी हेतु परमिट) (3) प्रपत्र 27 (परिवहन विभाग द्वारा जारी टूरिस्ट परिमिट) (4) प्रपत्र 38 (फिटनेस प्रमाण पत्र) (5) वाहन इन्श्योरेन्स सम्बन्धी अभिलेख (6) वाहन चालक का ड्राविंग लाइसेन्स (7) परिवहन विभाग उत्तराखण्ड से जारी रोड टैक्स प्रमाण पत्र (8) वाहन स्वामी का विभाग/कार्यालय में कार्यरत सगा सम्बन्धी न होने का शपथ पत्र।
4. कोटशन स्वीकृत होने पर फर्म/वाहन स्वामी को अनुबन्ध गठित करना होगा।
5. उक्त अनुबन्ध एक वर्ष हेतु किया जायेगा, लेकिन बिना कारण बताये किसी भी समय अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
6. वाहन चालक का निवास श्रीनगर में हो, अन्यथा उसे श्रीनगर में अपने निवास की अपने व्यय पर स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
7. वाहन को सही दशा में रखना वाहन स्वामी का दायित्व होगा एवं समस्त मरम्मत/टायर/बैटरी/मो0ऑयल/ब्रेक ऑयल, सर्विसिंग इत्यादि वाहन स्वामी द्वारा ही अपने व्यय पर की जायेगी एवं वाहन की अनुपस्थिति/खराबी की दशा में वाहन स्वामी को दूसरा वाहन, चालक सहित उपलब्ध कराना होगा तथा गन्तव्य तक पहुचाने का उत्तरदायित्व भी वाहन स्वामी का होगा, जिस हेतु उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा। अन्यथा प्रति दिन के हिसाब से दी गई दर का दुगनी दर से कटौती कर दी जाएगी।
8. विभाग द्वारा मात्र पुल टैक्स, अन्य प्रदेश का टैक्स ही सीधे भुगतान किया जायेगा।
9. टैक्सी के आठ घण्टे से अधिक चलने पर भी कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा तथा टैक्सी को कार्य की आवश्यकता अनुसार चलाया जायेगा।
10. गाड़ी को न्यूनतम एवरेज की दर से औसत देना होगा इससे अधिक औसत विभाग का होगा। वाहन रात्रि को कार्यालय परिसर में खड़ा करना होगा।
11. वाहन चालक को विभाग के निर्देशों के अनुरुप यात्राओं की लॉगबुक नियमित रुप से भरनी होगी।
12. वाहन का रोड टैक्स, इन्श्योरेन्स तथा चालक के ड्राईविंग लाइसेन्स को अपने व्यय पर अप–टू–डेट रखने का उत्तरदायित्व, वाहन स्वामी का होगा। ऐसा न करने पर पुलिस परिवहन विभाग द्वारा यदि कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है, तो इसके लिए पूर्ण रुप से वाहन स्वामी उत्तरदायी होगा। ऐसी अवांछित परिस्थिति में विभाग की ओर से भी समुचित पेनाल्टी वाहन स्वामी पर डालकर उसकी वसूली की जा सकती है।
13. वाहन चालक का व्यवहार कुशल न पाए जाने पर वाहन स्वामी को चालक बदलना होगा।
14. अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि वाहन स्वामी सेवायें देने का इच्छुक नही रहता है, तो उसे वाहन ड्यूटी से हटाने से पूर्व एक माह का नोटिस विभाग को देना होगा। साथ ही यदि वाहन की सेवायें विभाग द्वारा सन्तोषजनक नही, पाई जाती है, तो उसे एक सप्ताह के नोटिस पर सेवा से हटाया जा सकता है।
15. भुगतान मासिक आधार पर, द्विपर्ण में प्री–रिसीब्ड देयक प्रस्तुत करने पर एकाउन्ट पेई चैक/ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा, जिसमें से नियमानुसार करों की कटौती श्रोत पर की जायेगी।
16. अधोहस्ताक्षरी को समस्त अथवा किसी भी कोटेशन को अस्वीकृत करने का अधिकार है।

परियोजना प्रबन्धक

पृष्ठ संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:– (ई0–मेल द्वारा)

1. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम हरिद्वार।
3. सहायक अभियन्ता (मुख्यालय)/कनि0अभि0 (मुख्यालय)/मडलीय लेखाकार/प्रशा0अधि0 – ।।/नोटिस बोर्ड।
4. समस्त स्थानीय कार्यालय।

परियोजना प्रबन्धक